दो इनामी आरोपी गिरफ्तार, हथियार और बाइक बरामद

मनोहरपुर, (निसं)। थाना पुलिस मनोहरपुर को बडी सफलता मिली है। दुकान में तोडफोड कर जानलेवा हमला करने और नकदी लूटने के मामले में फरार चल रहे 1000-1000 रुपये के इनामी दो आरोपियों ओमप्रकाश शर्मा उर्फ एसपी उर्फ संजू पंडित पिता: पूरणमल शर्मा, लेटकाबास, दीपक कुमार मीणा उर्फ चिंटू मीणा उर्फ सत्या पिता राजेश कुमार मीणा शेरपुरा, खोरी, थाना शाहपुरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण राशि डोगरा डूडी ने बताया कि 11 अक्टूबर 2025 को परिवादी कृष्ण गुर्जर निवासी मामटोरी कला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह मनोहरपुर के आमलियों का बास स्थित अपनी परमानंद गारमेंट्स दुकान पर ग्राहकों को सामान दे रहा था। इसी दौरान सचिन गुर्जर, रजनीश गुर्जर, मनीष गुर्जर सहित 10-15 हथियारबंद लोग अचानक दुकान में घुस आए। और हमलावरों के पास नंगी तलवारें, फरसी, कुल्हाडी और दो बंदूकें थीं। उन्होंने दुकान का काउंटर तोड दिया, तोडफोड मचाई और बंदूक की नोक पर गल्ले से 45,750 रुपये लूट लिए। जब व्यापारी ने रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। ग्राहकों और आसपास के लोगों के शोर मचाने पर सभी आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। वही पुलिस ने पहले ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि दो बालकों को निरूद्ध किया गया था। लेकिन दो आरोपी लंबे समय से फरार थे, जिन पर इनाम घोषित था।

पुलिस ने कार्रवाई कर दो इनामी आरोपर गिरफ्तार किये।

फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) रजनीश पूनिया, वृत्ताधिकारी शाहपुरा मुकेश चौधरी के निर्देशन में तथा थानाधिकारी मनोहरपुर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम रामकरण-हेड कांस्टेबल,रामचंद्र कांस्टेबल, रमेशकांस्टेबल,राकेश कांस्टेबल (विशेष भूमिका) टीम ने गोपनीय सूचनाओं, लगातार निगरानी और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर दोनों इनामी आरोपियों ओमप्रकाश शर्मा उर्फ एसपी उर्फ संजू पंडित पिता: पूरणमल शर्मा (29) निवासी: रणधीरा की ढाणी, लेटकाबास, थाना शाहपुरा (जयपुर),दीपक कुमार मीणा उर्फ चिंटू मीणा उर्फ सत्या पिता राजेश कुमार मीणा (20) निवासी: शेरपुरा, खोरी, थाना शाहपुरा (जयपुर) को दबोच लिया। और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल,लाठी बरामद की है।

कमिश्नर ने महिलाओं, बच्चों को रेन बसेरे भेजा

अलवर। अलवर नगर निगम के कमिश्नर सोमवार रात शहर के दौरे पर निकले। इस दौरान उन्होंने सडक़ किनारे सो रहे लोगों को उठाया। लोगों से पूछा- रोड किनारे क्यों सो रहे हो। पास में रेन बसेरा है, वहां जाना चाहिए।कमिश्नर को शहर के बिजली घर चौराहे के पास दुकान के आगे तो महिला-पुरुष और छोटे बच्चे सोते मिले। उन्हें तुरंत ई-रिक्शा से रेन बसेरे में भेजा गया। कई लोगों ने उन्हें कहा कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। इस कारण सडक़ पर सोना पडता है। एक बुजुर्ग ने कहा कि शाम को मजदूरी करने के बाद गाड़ी नहीं मिलती है। इस कारण यहीं आस-पास सो जाते हैं। कमिश्नर सोहन सिंह नरूका ने बताया कि शहर में कोई भी व्यक्ति खुले में ठंड में रात गुजारने को मजबूर न हो, इसके लिए 'बसेरा वाहिनी' को सक्रिय किया गया है। यह सेवा पूरी तरह फ्री है और रात को समय खुले में सो रहे जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाने का काम करेगी।

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के जिलाध्यक्ष का स्वागत

■ युवा नेतृत्व से कार्यकर्ताओं में उत्साह

पावटा। कोटपुतली बहरोड जिले के नवनियुक्त प्रथम कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज गुर्जर का विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कोटपुतली बहरोड जिले के नवनियुक्त प्रथम कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज गुर्जर को बनाए जाने पर युवा नेतृत्व से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित अग्रवाल महासभा पावटा ने फूल मालाओं और नारेबाज़ी के साथ उनका अभिनंदन किया।

भव्य स्वागत समारोह में बडी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। यहां पावटा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष महादेव प्रसाद, विराटनगर ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र राताවाल, पावटा संगठन मंत्री अजय सैनी, ब्लॉक उपाध्यक्ष ओपी बायला, मनोज अठावाल, राजू धनकड, रिजवान कुरैशी, मालीराम बाड़ीगर, मुरारी लाल शर्मा, उदयभान यादव, मूल जी खारवाल, केशर सिंह, हनुमान वर्मा, रामावतार सिंह, उप सरपंच रोहिताश मीणा,सूरजमल बुनकर, सत्यनारायण टेलर, सूरजमल मानव, बंशीधर कसाना, बनवारी मानव, लक्खा शर्मा, मुल जी धाबाई, अर्जुन खारवाल, जगदीश बारेठ, जितेंद्र मीणा, जगदीश बुनकर, सरपंच धर्मेंद्र मीणा, राजू खटाना, विक्रम यादव, एसपी पोसवाल, हंसराज कीलाधर, विकास यादव व अठावाल महासभा पावटा महामंत्री यतीश बंसल, नितेश गुप्ता, विवेक गोयल, गौतम बंसल, गोपाल मोटाका, पूर्व कोषाध्यक्ष नेहिल मंगल सहित कांठोस पदाधिकारी का कार्यकर्ता मौजूद रहे। पावटा कांठोस ब्लॉक अध्यक्ष महादेव प्रसाद, विराटनगर ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र राताවाल, पावटा संगठन मंत्री अजय सैनी, ब्लॉक उपाध्यक्ष ओपी बायला सहित कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर जैसे युवा नेता को जिला कांग्रेस की कमान सौंपे जाने से संगठन में नया जोश आया है और इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी।

कोटपुतली बहरोड़ जिले के नवनियुक्त प्रथम कांठोस जिलाध्यक्ष इंद्राज गुर्जर ने कहा कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेवारी सौंपी है उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा।

कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जायेगा। पार्टी की मजबूती के लिए मेहनत करूंगा और क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का काम करूंगा।

श्री बंशीवारा मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू

निवाई। झिलाय नगर में श्री मूरली मनोहर जी महाराज श्री बंशीवारा मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो गया। जिससे श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दोड गई।

जीर्णोद्धार समिति के ताराचन्द बोहरा ने बताया कि श्री बंशीवारा मंदिर का जीर्णोद्धार के कार्य को लेकर ठेकेदार रामजीलाल प्रजापत झिलाय के सानिध्य में दो जेसीबी मशीनों एवं दर्जनों मजदूर द्वारा मंदिर जीर्णोद्धार हेतु पुराने मंदिर को जमींदोज किया गया है। मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर जीर्णोद्धार समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमें सर्व सम्मति से मंदिर का नवीन नक्शा पास कर समिति सदस्यों से स्वीकृति ली। मंदिर पुजारी मनीष पारीक ने भगवान श्री मूरली मनोहर जी का गर्भ गृह के बारे में सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही नव निर्माण का मुहूर्त निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि नवीन मदिर की कुर्सी पांच फीट ऊपर रहेगी। मंदिर की उंचाई कुर्सी से सवा 13 फीट ऊंची रहेगी और हर मंदिर में वेदी बीच में रहेगी।

साईड में परिक्रमा करीब चार फीट चौडी होगी। परिक्रमा में दाहिनी तरफ एक कमरा और जीना का निर्माण किया जाना तय हुआ है। बैठक में समिति के महेशकुमार मिश्रा, मोहनलाल सोनी, भंवरलाल पारीक, ताराचंद बोहरा, भगवानसहाय सोनी, त्रिलोकचंद बोहरा, प्रेमचंद बोहरा, जगदीशप्रसाद बेंवाल, विष्णु बोहरा, रामपाल सिंगवाड़िया, बाबूलाल सोनी, सत्यनारायण वर्मा, लालचंद बोहरा व बद्रीनारायण बरुनियां सहित कई सदस्यों ने ठेकेदार को निर्माण कार्य चालू करने के निर्देश दिए।

6 में से 4 उम्मीदवारों ने लिए नाम वापस

शाहपुरा। शाहपुरा दी बार एसोसिएशन शाहपुरा के 12 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर नाम वापसी के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महासचिव कोष अध्यक्ष चारु महत्वपूर्ण पदों पर मैदान में अब 2-2 ही उम्मीदवार बचे है। जिनकी कब आमने-सामने सीधी टक्कर होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट मनोज गुर्जर ने बताया कि मंगलवार को नाम वापसी का अंतिम दिन था। नाम वापसी के बाद अध्यक्ष पद पर अब एडवोकेट बाल गोविंद सोनी व मंगल चंद यादव ही बचे हैं।

अवैध बजरी ले जाते दो ट्रेक्टर ट्रोली जब्त

टोंक। जिला पुलिस कप्तान राजेश कुमार के निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध बजरी परिवहन व खनन की रोकथाम अभियान के तहत पुलिस उप-अधीक्षक निवाई रविप्रकाश शर्मा के सुपरविजन एवं निवाई थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने अभियान में कार्यवाही करते हुए मंगलवार को निवाई क्षैत्र से अवैध बजरी परिवहन करते हुये दो ट्रेक्टर-ट्रोली मय बजरी से भरे हुये को जप्त किया गया। इस दौरान ट्रेक्टर चालक मौके से फरार हो गया।

जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, वही उसमें गिरता है : प्रभव सागर

निवाई। सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में राष्ट्रीय संत आचार्य वर्धमान सागर महाराज के आशीर्वाद से जैन नसियां संत निवास में मुनि प्रभव सागर महाराज के सानिध्य में धार्मिक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें श्रद्धालुओं की भीड उमडीपडी।

जैन समाज के प्रवक्ता सुनील भाणजा, विमल जौला एवं हितेश छाबड़ा ने बताया कि धर्म सभा को संबोधित करते हुए मुनि प्रभव सागर महाराज ने कहा कि प्रसन्नमुद्रा व मुस्कानयुक्त चेहरा ही महानुभावों व धर्मात्माओं की पहचान है। उसकी मुखमुद्रा में सहज मुस्कुराहट व वितराग भाव रहते हैं।

■ आचार्य वर्धमान सागर महाराज एवं ससंघ को निवाई आगमन हेतु किया श्रीफल भेंट

आचार्य वर्धमान सागर महाराज एवं ससंघ को निवाई आगमन हेतु श्रीफल भेंट करते श्रद्धालु।

जो प्रतिनित्य पूजा पाठ, स्वाध्याय व सत्संग करता है, यात्राएं करता है वह प्रफ्फुलित रहता है। यह सभी धर्मात्मा के चिन्ह है। उसका चेहरा उदास, अकड़ा हुआ व रोने जैसा नहीं रहता। पद्मनन्दि पंचविशंति ठांथ में कहा गया है कि जो अपने कानों से श्रद्धापूर्वक, रुचिपूर्वक, प्रीतिपूर्वक व भगवान की वाणी सुनता है वह भव्य है। उसने कुछ भी नहीं किया केवल कानों से सुना है किंतु रुचिपूर्वक सुना है इसलिए वह भाव है।

आचार्य कहते हैं कि उसको निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होगी। पवित्र भावों के साथ, श्रद्धापूर्वक जिनवाणी, आध्यात्मिक तत्वज्ञान व भगवान की वाणी को सुनता है वह भव्य है। उन्होंने कहा कि यदि साथ में कुछ प्रैक्टीकल करलें तो फिर उसकी महिमा ही अलग है। इन सबके लिए सत्संगति की आवश्यकता है, साधु की संगति की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति में सभी महापुरुषों ने सत्संगति की प्रशंसा की है।

इस दुनिया में कुछ लोग सच्चे व लोग अच्छे होते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं जरूरी नहीं कि वह सच्चे भी हो, लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं वह अच्छे भी होते हैं। किसी के बारे में बुरा विचार नहीं करें, क्योंकि उसका बुरा हो ना हो आपका बुरा तो निश्चित है, कहा भी है जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, वही उसमें गिरता है। धर्म सभा के बाद जिनवाणी की स्तुति की गई। इसके बाद जैन नसियां में सायंकाल में शांतिनाथ चंदा प्रभु भगवान एवं पंच परमेष्ठी की आरती की गई। उसके बाद आनंद यात्रा एवं संस्कृति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बुधवार को आचार्य वर्धमान सागर महाराज एवं ससंघ को निवाई आगमन हेतु शीतकालीन प्रवास के लिए श्रीफल भेंट किया गया।

इस अवसर पर महेंद्र चंवरिया, मोहित चंवरिया, जितेंद्र चंवरिया, सुशील गिंदौडी, सुनील भाणजा, नवरत्न टोंग्या, मनोज पाटनी, नेमिचन्द खण्डेवत, राजेश बनेठा, अशोक बिलाला, विष्णु बोहरा, विनोद सुनारा, सुनील जैन, हितेश छाबड़ा, विमल जौंला, योगेंद्र सिंहल, रौनक व राहुल बोहरा सहित कई श्रद्धालु मौजूद थे।

नाम परिवर्तन

मैं श्यामू मुरारिया पुत्र बलराम जाटव निवासी भीकमपुरा पोस्ट हरनगर तहसील करौली राजस्थान शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरे दस्तावेजों में गलती से मेरा नाम श्यामू जाटव हो गया जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम श्यामू मुरारिया है। अत: अब भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्यामू मुरारिया के नाम से जाना जायें।

नम्बर मिलाइए 9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खण्डनस्वरूप आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य दामोदर प्रसाद खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री रघुनाथ प्रसाद, निवासी मकान नम्बर 3700, बाबू का टीबा, सूरजपोल बाजार, रामगंज, जयपुर ने स्वयं को सुभाष सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या 12-ए, बृजपुरी, जगतपुरा, जयपुर को आज दिवस तक भगवान सहाय गुप्ता पुत्र स्व. श्री रेवडमल गुप्ता, निवासी 1/312, मालवीय नगर, जयपुर या अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय/विक्रय इकरारनामा /अन्तरण आदि नही किया है और ना उक्त भूखण्ड का कब्जा सुपुर्द किया है। भगवान सहाय गुप्ता द्वारा दैनिक भास्कर दिनांक 20.6.2025 में प्रकाशित आम सूचना बिना किसी विधिक आधार के प्रकाशित करायी गयी है, जिसके खण्डनस्वरूप यह सूचना प्रकाशित की जा रही है।
जयपुर दिनांक 2.12.2025 — सर्वेश सारस्वत, एडवोकेट मो.-9829060759

नाम परिवर्तन

मैं राजूदेवी पत्नी श्री भंवरलाल मीणा निवासी- 170 श्रीरामनगर सांगानेर जयपुर, मेरा बचपन में रेणू उर्फ राजा नाम था, भारतीय जीवन निगम पॉलिसी में भूलवश रेणू उर्फ राजा दर्ज हो गया, जो गलत है। मेरा सही नाम राजूदेवी पत्नी श्री भंवरलाल मीणा है मुझे इसी नामसेजानाजावें।

मैं सूबेदार (Hony Capt) No- 482839 H शपथकर्ता ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामखिलाड़ी निवासी-ग्राम व पोस्ट कटारा अजीज, तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान मेरे पिता का नाम आर्मी अभिलेखों में रामखिलानी (Ramkhilani) व जन्मतिथि- 01/07/1943 दर्ज हो गयी है जो गलत है सही नाम रामखिलाड़ी (Ramkhiladi) व जन्मतिथि- 01/01/1943 जो पिता आधार सं.- 376497490453 व आर्मी अभिलेखों दर्ज़ करवाने है। भविष्य में रामखिलाड़ी (Ramkhiladi) व 01/01/1943 नाम से जाना जावे।

मैं सूबेदार (Hony Capt) No- 482839 H शपथकर्ता ब्रजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामखिलाड़ी निवासी-ग्राम व पोस्ट कटारा अजीज, तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान मेरे पुत्र सौरव सिंह (Saurav Singh) जो गलत है सही नाम सौरभ सिंह (Saurabh Singh) जो आधार सं.-555776489707 व शैक्षिणक सत्र सही करवाने है भविष्य में सोरभ सिंह (Saurabh Singh) नाम से जाना जावे।

मैने मेरा नाम संजय सोनी से बदल कर संजय कुमार रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। संजय कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जौहरी प्लॉट न 19, सुदामा मार्ग, ब्रह्मपुरी, जयपुर (राज.)

I have changed my name from Hemant Kumar to Hemant Kumawat. In future known me as Hemant Kumawat S/o Ravindra Kumar R/o A-19, Sen Colony, Power House Road, Railway Station Jaipur Rajasthan.

I have changed my name from Sheetal to Sheetal Chauhan W/o Kanderp Chauhan R/o D-126/A, Mahaveer Marg, Ambabari, Jaipur. For all purpose.

खोया पाया

मेरा मकान सं.68/278, G-F, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल अदेय प्रमाण पत्र, मूल मांग पत्र, जमा रसीद कहीं गुम हो गयी है। मिलने पर सम्पर्क करें- भावना शर्मा- 8005800150

मेरे आवास संख्या 56/109 मानसरोवर जयपुर का आवंटन पत्र व कब्जा पत्र (Ghanding over taken over) गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। चन्द प्रकाश माथुर मो. 866924263

मेरे भूखण्ड सं- 94 & 95 आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना पटेल नगर जयपुर का पंजीकृत पट्टे के साथ संगलन मूल 50 रु का स्टाम्प पेपर कही गुम हो गया है सूचित करे राजेन्द्र मेहता मो. 9783683661

जेडीए की योजना (वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना) गोविन्दपुरा योजना तहसील सांगानेर में स्थित आवास गृह संख्या एफ- 1057 का ओरिजनल जेडीए आवंटन पत्र संख्या डी-318 दिनांक 07.12.2017 कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें। अल्ताफ हुसैन- 9829698604

जेडीए की योजना (वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजना) गोविन्दपुरा योजना तहसील सांगानेर में स्थित आवास गृह संख्या जी- 1057 का ओरिजनल जेडीए आवंटन पत्र संख्या डी-315 दिनांक 07.12.2017 कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें। अल्ताफ हुसैन- 9057280697

मेरे प्लाट नं-136 मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना मित्र नगर जयपुर का सहकारी समिति से जारी मूल सोसाइटी रसीद जिसमे मूल आवंटी धर्मेन्द्र कुमार सारस्वत पुत्र श्री जगन्नाथ सारस्वत के पक्ष मे जारी दिनांक:21/07/1981 की है जो कि कही गुम हो गयी है मिलने पर सूचित करे श्रीमति दौलत कँवर मो- 9929386118

मेरे भूखण्ड सं.-346 व 347 योजना जॉयमैक्स गार्डन-ए का अपंजीकृत पट्टा मय साईट प्लान व स्टाम्प पेपर सहित समस्त मूल दस्तावेज कही गुम हो गये है मिलने पर सूचित करे- शशि प्रकाश अग्रवाल मो. 9784167899

मेरे भूखण्ड सं.-348 व 349 योजना जॉयमैक्स गार्डन-ए का अपंजीकृत पट्टा मय साईट प्लान व स्टाम्प पेपर कही गुम हो गया है मिलने पर सूचित करे- सुनीता अग्रवाल मो. 9784167899

मेरे MPNRC Bhopal MP Supplementary Examination Sexxion DEC. 2022, अमित कुमार पुत्र SHEODAN JAGIR ENROLMENT NO. 28108 GNM 191121 ROII No.G25D2260710002 BRANCH GNM NEW YEAR SECOND KE MARKSHEET म्कहीं गुम हो गई। मिलने पर सूचित करें- 9549999898

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्सी, जयपुर
प्रार्थना पत्र संख्या 417/2024
ज्योतिका कुमारी
बनाम
ठाकुर रघुवीर सिंह व अन्य

नाम-1. अमरवीर सिंह व मानवीर सिंह पुत्रान ठाकुर रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासीयान- बांसखो हाउस, गंगापोल, जयपुर राजस्थान
2. श्रीमति ज्योति सिंह पत्नी ठाकुर राजदेव सिंह पुत्री ठाकुर रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी- 9, अजबपुर देहरादून (उत्तरांचल)
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है, कि.....
अतः आपको चेतावनी दी जाती है, कि आप इस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 04.12.2025 को 10:00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगें तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता.11 माह 11 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
दिनांक- न्यायालय-रीडर
(मोहर) अपर जिला एवं सैशन न्यायालय बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्सी, जयपुर
प्रार्थना पत्र संख्या 397/2024
जर्नादन शर्मा
बनाम
ठाकुर रघुवीर सिंह व अन्य

नाम-1. अमरवीर सिंह व मानवीर सिंह पुत्रान ठाकुर रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासीयान- बांसखो हाउस, गंगापोल, जयपुर राजस्थान
2. श्रीमति ज्योति सिंह पत्नी ठाकुर राजदेव सिंह पुत्री ठाकुर रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी- 9, अजबपुर देहरादून (उत्तरांचल)
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है, कि....
अतः आपको चेतावनी दी जाती है, कि आप इस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 04.12.2025 को 10:00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगें तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता.11 माह 11 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
दिनांक- न्यायालय-रीडर
(मोहर) अपर जिला एवं सैशन न्यायालय बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्सी, जयपुर
प्रार्थना पत्र संख्या 407/2024
जर्नादन शर्मा
बनाम
ठाकुर रघुवीर सिंह व अन्य

नाम-1. अमरवीर सिंह व मानवीर सिंह पुत्रान ठाकुर रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासीयान- बांसखो हाउस, गंगापोल, जयपुर राजस्थान
2. श्रीमति ज्योति सिंह पत्नी ठाकुर राजदेव सिंह पुत्री ठाकुर रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी- 9, अजबपुर देहरादून (उत्तरांचल)
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है, कि
अतः आपको चेतावनी दी जाती है, कि आप इस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 04.12.2025 को 10:00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगें तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता.11 माह 11 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
दिनांक- न्यायालय-रीडर
(मोहर) अपर जिला एवं सैशन न्यायालय बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्सी, जयपुर
प्रार्थना पत्र संख्या 427/2024
जर्नादन शर्मा
बनाम
ठाकुर रघुवीर सिंह व अन्य

नाम-1. अमरवीर सिंह व मानवीर सिंह पुत्रान ठाकुर रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासीयान- बांसखो हाउस, गंगापोल, जयपुर राजस्थान
2. श्रीमति ज्योति सिंह पत्नी ठाकुर राजदेव सिंह पुत्री ठाकुर रघुवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी- 9, अजबपुर देहरादून (उत्तरांचल)
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है, कि
अतः आपको चेतावनी दी जाती है, कि आप इस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 04.12.2025 को 10:00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगें तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता.11 माह 11 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
दिनांक- न्यायालय-रीडर
(मोहर) अपर जिला एवं सैशन न्यायालय बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम

प्रपत्र-5
राजस्थान सरकार
कार्यालय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी. स्कीम, जयपुर
अपील/निगरानी संख्या 639/24
Hotel Diggi Palace ...अपीलार्थी
बनाम
Chachal Sharma ...प्रत्यर्थी
(अपील अन्तर्गत धारा 41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019)
प्रेषित :
चंचल शर्मा, W/o स्वश्री अजय कुमार प्लाट नं.- 19, गुर्जर घाटी, आमेर रोड अर्ता फार्म जयपुर- 302002
श्री होटल डिग्गी पैलेस ने इस आयोग के समक्ष जिला मंच JPR-III के आदेश दिनांक 16-05-24 जो परिवाद संख्या 77/23 उजवानी Hotel Diggi Palace बनाम Chachal Sharma मैं पारित हुआ है, के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अपील व प्रलेखों की प्रतियां संलग्न की जा रही हैं।
आपको के समक्ष दिनांक 15-12-25 प्रतिनिधि के द्वारा राज्य आयोग के समक्ष दिनांक. ....को प्रात 10 बजे उपस्थित हों यदि आप द्वारा अधिकृत .. को प्रात 10 बजे उपस्थित हों। यदि आप द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपर्युक्त नियत तिथि व समय पर उपस्थित नहीं हुए तो अपील गुणावगुण के आधार पर एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णित कर दी जायेगी ।
आज दिनांक 26-11-25 को जारी किया गया ।
उप-पंजीयक/रीडर
(मोहर) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर

ट्रक जब्त: निवाई। क्षेत्रीय वन अधिकारी धारीलाल बैरवा के निर्देशन में वन विभाग की टीम ने बायपास पर स्थित गांव मूंडिया के समीप अवैध लकड़ी परिवहन करते हुए एक 12 चक्का ट्रक को जब्त किया।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
क्रमांक : 4780 **आम जाहिर सूचना** दिनांक : 02.12.2025
राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 1432 दिनांक 04.11.2000 जारी कर फ्लैट संख्या-10/882 (जी.एफ.) मालवीय नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 34.582 वर्गमीटर का हस्तान्तरण श्री चंदन राय एवं श्रीमती मलिना राय के पक्ष में किया गया था। उक्त दोनों क्रेताओं में से श्री चन्दन रॉय की मृत्यु दिनांक 27.07.2024 को हो जाने के कारण श्रीमती मलिना राय पत्नी स्व. श्री चन्दन राय, श्री सौगत रॉय पुत्र स्व. श्री चन्दन राय एवं श्री सौमन रॉय पुत्र स्व. श्री चन्दन राय के द्वारा आवेदन-पत्र के साथ जमा प्रशासनिक शुल्क की छाया प्रति, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास/फ्लैट का प्रतिस्थापन अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है, अतः उक्त फ्लैट के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती मलिना राय पत्नी स्व. श्री चन्दन राय, श्री सौगत रॉय पुत्र स्व.श्री चन्दन राय एवं श्री सौमन रॉय पुत्र स्व. श्री चन्दन राय के पक्ष में फ्लैट के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी। सम्पदा प्रबंधक, वृत्त तृतीय, रा.आ. मण्डल, जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
813 (आदेश 5 के नियम 1 और 5)
समक्ष अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, क्रम सं.18, जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर मुख्यालय, जयपुर
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया विरूद्ध
मैसर्स जैन किराणा स्टोर एवं अन्य
वाद बाबत् वसूली 1,60,684.57/- रूपये
वाद संख्या 471 सन् 2023
बनामः 1. मैसर्स जैन किराणा स्टोर, एक प्रोपराईटरशिप फर्म, पंजीकृत कार्यालयः- मकान संख्या 82/25, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर-302029 एवं मकान संख्या 32/312, सैक्टर नं 3, ब्लॉक संख्या 30, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर-302033 जरिये प्रोपराईटर श्री प्रदीप कुमार जैन। 2. श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण जैन प्रोपराईटर मैसर्स जैन किराणा स्टोर निवासीः मकान संख्या 82/25, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर-302029 एवं मकान संख्या 32/312, सैक्टर नं 3, ब्लॉक संख्या 30, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर-302033
वादी ने आपके विरूद्ध वसूली के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 6 माह दिसम्बर सन् 2025 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज **दिनांक 29 माह 11 सन् 2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **आज्ञा से, न्यायाधीश, शेरिस्तेदार/रीडर**
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-18 जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर
(सील)

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे0एल0एन0 मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर -0141-4901853
क्रमांक-4781 दिनांक-02/12/25
आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या 4/द/4 जवाहर नगर जयपुर, क्षेत्रफल 139.00 वर्ग गज़ का आवंटन प्रेम बिहारी लाल शर्मा पुत्र श्री राम शरण शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 5468 दिनांक 30/08/1976 जारी किया गया। उनके के द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उपपंजीयक जयपुर प्रथम दिनांक 20/07/1990 को करवाया गया। तत्पश्चात प्रेम बिहारी लाल शर्मा पुत्र श्री राम शरण शर्मा के द्वारा उक्त आवास का मुख्यारनामाआम श्री वाशी थावानी पुत्र श्री वाधुमल थावानी को नियुक्त किया गया। उक्त मुख्यारनामाआम का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम मे दिनांक 30/11/2000 को करवाया गया है। तत्पश्चात श्री वाशी थावानी पुत्र श्री वाधुमल थावानी के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्रीमती रुकमणी देवी पत्नी श्री मेघराजमल को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर-प्रथम मे दिनांक 28/02/2001 को करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती रुकमणी देवी पत्नी श्री मेघराजमल के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरीये विक्रय पत्र श्रीमती नीतू वाधवानी पत्नी श्री नितेश वाधवानी को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर-नवम् मे दिनांक 04/08/2023 को करवाया गया। श्रीमती नीतू वाधवानी पत्नी श्री नितेश वाधवानी के द्वारा आवास का मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के बाद पश्चातवर्ती अंतिम क्रेता का नाम मण्डल अभिलेख मे दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया है। अतः नाम दर्ज के संबंध मे किसी भी व्यक्ति/बैंक/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती नीतू वाधवानी पत्नी श्री नितेश वाधवानी का नाम मण्डल रिकार्ड मे दर्ज कर दिया जायेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत तृतीय, रा0आ0म0जयपुर

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन) नगर निगम जयपुर
(अम्बाबाडी सर्किल, अम्बाबाडी जयपुर)
क्रमांक:- एफ-55 ( ) वि.जोन/ ज.न.नि./2025/3189
सार्वजनिक सूचना दिनांक: 25/11/2025
भूखंड सं. 8-ए पुराना (115-ए नया) श्री राम नगर-बी, झोटवाडा, जयपुर (सयुंक्त गृह नि.स.स.) का श्री कन्हैयालाल शर्मा पुत्र श्री छुट्टन लाल शर्मा को क्षेत्रफल 125 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में मूल आवंटी द्वारा रजि. विक्रय पत्र के द्वारा भूखंड सं. 8-ए पुराना (115-ए नया) क्षेत्रफल 125 वर्गगज को दिनांक 25.05.2011 को श्रीमती भंवरी देवी कंडेल पत्नी श्री भवानी शंकर कंडेल के पक्ष में बेचान कर दिया। श्रीमती भंवरी देवी मृत्यु दिनांक 07.05.2021 एवं श्री भवानी शंकर कंडेल मृत्यु दिनांक 13.05.2021 के पश्चात् श्री मनीष कंडेल उर्फ मनीष कुमार कंडेल पुत्र स्व. श्री भवानी शंकर कंडेल द्वारा रजि. विक्रय पत्र के द्वारा उक्त भूखंड क्षेत्रफल 125 वर्गगज को दिनांक 20.03.2025 को श्री नवीन कुमार काला एवं श्रीमती वर्षा जैन पत्नी श्री नवीन कुमार काला को बेचान कर दिया। आवेदकगण श्री नवीन कुमार काला एवं श्रीमती वर्षा जैन पत्नी श्री नवीन कुमार काला द्वारा चैन ऑफ दस्तावेज के आधार पर भूखंड सं. 8-ए पुराना (115-ए नया) क्षेत्रफल 125 वर्गगज भूखंड का नाम हस्तान्तरण किया जाना है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तांतरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी। **उपायुक्त विद्याधर जोन नगर निगम जयपुर**

IN THE COURT OF HON'BLE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, NAGPUR
(NEW EXT. BUILDING, ROOM NO. 904, 9th FLOOR) DISTRICT COURT, CIVIL LINES, NAGPUR. (MAHARASHTRA)
Crl. M.A. No. 24/2025 FIXED FOR: 12/12/2025
M/s Narayani Realities and Construction
.-VERSUS-
M/s Radha Krishna Buildtech & Others
TO, Non-Applicants::,
1. M/s Radha Krishna Buildtech, A Partnership Firm, Address: At Studio-1, 301-302, Coral Studio One, Sahakar Marg. Lalkothi, Jaipur 302001.
2. M/s Radha Krishna Buildtech Pvt. Ltd., Partner of M/s Radha Karlshna Buildtech, Address: At Coral Castle, 501, E-92, Subhash Marg, C Scheme, Jalpur-302001.
3. Mr. Kuldeep Ashok kumar Vyas, Partner of M/s Radha Krishna Buldtech, Address: At Studio 1, 301-302, Coral Studio One, Sahakar Marg. Lalkothi, Jyoti Nagar Police Station (Jalpur South), Jaipur-302005.
4. Mr. Krishna Kumar Yadav, Partner of M/s Radha Karishna Bulldtech, Address: At Studio 1, 301-302, Coral Studio One, Sahakar Marg, Lalkothi, Jyoti Nagar Police Station (Jaipur South), Jaipur - 302005.
5.Mr. Giriraj Ratan Daga, Partner of M/s Radha Karishna Bulldtech, Address: B- 13/D, Daga House, Shiv Marg, Near Mira Hospital, Bani Park, Jyoti Nagar Police Station,Japur-30201
6.Mr. Shyam Sunder Daga, Partner of M/s Radha Karishna Bul dtech, Address: B- 13/D, Daga House, Shiv Marg, Near Mira..Hospital, Bani Park, Jyoti Nagar Police Station, Jalpur-302016.
7.Mr. Govind Ratan Daga, Partner of Ms Radha Karishna Buildtech, Address: At B-13/D, Daga House, Shiv Mug, Near Mira Hospital, 911 Bani Park, Jyoti Nagar Police Station, Jaipur-302016.
Whereas the above named applicant have filed an Petition Under Section 448 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023..You are hereby noticed to appear in the Court of Principal District and Sessions Judge, Nagpur in person or by a pleader duly instructed on the 02nd day of August, 2025 at 11.00 a.m. to show cause in the said application. Falling wherein, the said application will be heard and determined exparte in your absence. Also take notice that in default of your filing an address for service on or before the date mentioned you are liable to have your defence struck out, Given under my hand and seal of the Court this 22nd day of July, 2025.
By Order Superintendent
Principal District & Session Court, Nagpur

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(जलेबी चौक, पुराना पुलिस मुख्यालय भवन, जयपुर)
क्रमांक :— जसअ/2025/317 दिनांक: 28.11.2025
ई-निविदा सूचना संख्या 05/2025-26
नगर निगम जयपुर में वेस्ट टू वेल्थ पार्क विकसित करने का कार्य हेतु पंजीकृत फर्म से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, विस्तृत सूचना एवं कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, टेण्डर शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर, की बेवसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in, www.jaipurmc.org एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर UBN No. JMC2526WSOB02088 पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।
अधिशाषी अभियन्ता (प्रो0) पार्ट-02 नगर निगम जयपुर
राज.संवाद/सी/25/14910

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगरपालिका मण्डल, सांभर लेक
क्रमांकः नपासा/2025/2075 **लोक सूचना** दिनांक 02/12/25
श्री राजकमल जोतरिवाल पुत्र श्री मान सिंह, उम्र 37 वर्ष जाति बलाई निवासी आदर्श कॉलोनी, बिचून मार्ग फुलेरा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर (राज) ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये भू उपयोग परिवर्तन हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारो के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

क्र.सं.	जिले का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	चाहा गया उपयोग
1	जयपुर	लालपुरा	3241/2812, 3250/2811, 3252/3243	कुल किता 03 रकबा 1.4264 हैक्टेयर	कुल किता 03 रकबा 1.4264 हैक्टेयर भूमि को आवासीय में रूपान्तरण हेतु

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोगार्थ (आवासीय भू-रुपान्तरण) हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 02.12.25 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका मण्डल सांभर लेक

प्रारूप-10 नियम 6 (7) देखिए
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगरपालिका मण्डल, सांभर लेक
क्रमांकः नपासा/2025/2072 **लोक सूचना** दिनांक 02/12/25
श्री राजेन्द्र वर्मा पुत्र श्री रामपाल वर्मा उम्र 31 वर्ष जाति बलाई निवासी तेज्या का बास, तहसील फुलेरा जिला जयपुर (राज) ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनो के लिये भू उपयोग परिवर्तन हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारो के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र.सं.	जिले का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	चाहा गया उपयोग
1	जयपुर	लालपुरा	3251/2811, 3253/3243	कुल किता 02 रकबा 0.9509 हैक्टेयर	कुल किता 02 रकबा 0.9509 हैक्टेयर भूमि को आवासीय में रूपान्तरण हेतु

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोगार्थ (आवासीय भू-रुपान्तरण) हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 02.12.25 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका मण्डल सांभर लेक

कार्यालय नगर निगम जयपुर

(सांगानेर स्टेडियम वाली रोड, गर्ल्स स्कूल के पास, सांगानेर जयपुर)
E-mail :- eesanganerzone01@gmail.com
क्रमांक :— जसअ/2025/313 दिनांक: 27.11.2025
निविदा सूचना संख्या 153-170/2025-26
केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत संवेदकों एवं नगर निगम ग्रेटर जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि. अभि. (सांगानेर जोन) से संबंधित विकास कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://sppp.raj.nic.in & www.jaipurmc.org पर देखी जा सकती है। स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का Unique Bid Number JMC2526WSOB02047 से JMC2526WSOB02065 है।
अधिशाषी अभियंता सांगानेर जोन नगर निगम जयपुर
राज.संवाद/सी/25/14908

कार्यालय ग्राम पंचायत दांतिल, पंचायत समिति पावटा (कोटपूतली बहरोड)

क्रमांक :- ग्रा.पं.दा/निविदा/2025-26/213 दिनांक -02.12.2015
ई-निविदा सूचना 2025-26
सर्वसाधारण एवं पंजीकृत संवेदकों को सूचित किया जाता है कि पंचायत समिति पावटा के अधिनस्थ ग्राम पंचायत दांतिल में नियम 181 के तहत पंचायती राज विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर निगम, एवं राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों में पंजीकृत सक्षम श्रेणी ए.वं एवं सी तथा डी व ई श्रेणी के संवेदकों से खुली निविदा के माध्यम से (डिफेक्ट लाइविलिटि पिरीयड दो वर्ष) एव कार्य के लिए मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा शर्ते एवं जी-शिड्यूल एवं अन्य सूचनाओं विस्तृत जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in/ व www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकर्त है।
ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दांतिल पं.स.पावटा (कोटपूतली-बहरोड) — UBN-ZJP2526WSRC01921 ZJP2526WSRC01922 — प्रशासक ग्राम पंचायत दांतिल पं.स.पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारिकपुरा, पंचायत समिति पावटा (कोटपूतली बहरोड)

क्रमांक :- ग्रा.पं.द्वा/निविदा/2025-26/95 दिनांक -02.12.2025
ई-निविदा सूचना 2025-26
सर्वसाधारण एवं पंजीकृत संवेदकों को सूचित किया जाता है कि पंचायत समिति पावटा के अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारिकपुरा में नियम 181 के तहत पंचायती राज विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर निगम, एवं राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों में पंजीकृत सक्षम श्रेणी ए.बी एवं सी तथा डी व ई श्रेणी के संवेदकों से खुली निविदा के माध्यम से (डिफेक्ट लाइबिलिटि पिरीयड दो वर्ष) एक कार्य के लिए मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा शर्ते एवं जी-शिड्यूल एवं अन्य सूचनाओं विस्तृत जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in/ व www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत द्वारिकपुरा पं.स.पावटा (कोटपूतली-बहरोड) — UBN-ZJP2526WSOB01914 ZJP2526WSOB01913 — प्रशासक ग्राम पंचायत द्वारिकपुरा पं.स.पावटा (कोटपूतली-बहरोड)